


फर्द अहकॉम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी रोड़वा व मुकाम रोड़वा


नामोदर तौरा बनाम शेतराम तौरा

किस्म मुकदमा... राजस्थान अधिनियम... मुकदमा नम्बर... 191.../2024

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/06/24	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलोट के वकील श्री <u>शेतराम देवानी</u> यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 129, P.L.R. Act</u> राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेरपोडेंट जरिये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>05/07/2024</u> को पेश हो।</p> 	
31/07/24	<p>पत्रावली पेश हुई। पीटापीन अधिकांश दिगम कर्षण में व्यस्त है, मिसल इतना होकर पत्रावली पूर्व अवशिष्टानुसार आईस दिनांक <u>31/07/24</u> को पेश हो।</p>	
15/08/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। विप्रार्थीगण के सम्मन मामिलशुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है। विप्रार्थीगण को जवाब पेश करने का अवसर देने के बावजूद भी कोई उपस्थित नहीं हुआ अतः उनका जवाब बंद किया जाता है। वकील प्रार्थी ने बक्स सुनने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी की बक्स सुनी गई। बक्स पर मनन किया गया। पत्रावली का अन्वयन, अन्वयन किया गया जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य है।</p>	<p>स्टिकर प्रतियोगिता में उसे 11 जरीय उचित <u>शेतराम देवानी</u> (श्रीमान देवानी) दा० अ० सं-192/24</p>

अतः धारणीयता का प्रार्थना पत्र न्यायस्थिति में स्वीकार किया जाता है। नेशनल बैंक में भूखंड से लिखा जाकर शामिल प्रार्थना किया जाता है। प्रार्थना केसल शुभ होकर हाथिल दफतर हो। संख्या से एक कम हो।

सेवासु,


प्रार्थना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर
राजस्व आवेदन सं 191/2024 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

नागोदर वगैरा बनाम सोनाराम वगैरा
पीठासीन अधिकारी - श्री विरेन्द्रसिंह भाटी आर.ए.एस
प्रार्थी वकील - श्री घेवरराम देवासी

निर्णय


दिनांक - 15/03/24

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र झड़पा भूअ.नि. क्षेत्र अरटी के मौजा झड़पा के खेत खसरा संख्या 74 रकबा 6.5073 हैक्टर किस्म बा.सोयम स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वक्त काश्त प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया की जाकर वादग्रस्त भूमि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र झड़पा भूअ.नि. क्षेत्र अरटी के मौजा झड़पा के खेत खसरा संख्या 74 रकबा 6.5073 हैक्टर किस्म बा.सोयम की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते हैं कि वो दोनो पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थायी बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षों के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त में परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थायी बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो।

तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी के खसरों की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावे एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो। पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 15/03/24 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।


(विरेन्द्रसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
<ol style="list-style-type: none"> नागोदर पुत्र पीरू बचल पुत्र पीरू मलार पुत्र पीरू जाति मुसलमान, निवासी झड़पा, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर। 		<ol style="list-style-type: none"> सोनाराम पुत्र महेन्द्राराम भरतकुमार पुत्र पाबुराम जाति मुसलमान, निवासी झड़पा, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर। खाकु पुत्र रावत गुलाम पुत्र सचू मुबारक पु सचू मिश्री पुत्र सचू हारुण पुत्र सचू सावन पुत्र मिहल हासम पुत्र मिहल लतीफा पत्नि मिहल सतार खान पुत्र रहीम खान जाति मुसलमान, निवासी झड़पा, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर। तहसीलदार सेड़वा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन संख्या 191/2024

दिनांक : 15/07/2024

आदेश

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र झड़पा भू. अ.नि. क्षेत्र अरटी के मौजा झड़पा के खेत खसरा संख्या 74 रकबा 6.5073 हैक्टर किस्म बा.सोयम के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।



(विरेन्द्रसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा
दिनांक 15/07/2024

क्रमांक/भू.अ./2024/2283-86

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

- तहसीलदार सेड़वा।
- प्रार्थीनी नागोदर पुत्र पीरू वगैरा।
- विप्रार्थीगण सोनाराम पुत्र पाबुराम वगैरा।
- थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/बाखासर/बीजराड़/धोरीमन्ना/धनाउ।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा